-:प्रेस नोट:-

दिनांक-02.09.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना चिल्ला पुलिस द्वारा पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाकर बिना पैसे दिये सेल्समैन को चकमा देकर भागने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से 05 खाली प्लास्टिक के केन, 01 फर्जी नंबर की चार पहिया वाहन तथा 10 हजार रुपए नगद बरामद।**
- **अभियुक्त पर पेट्रोल पंप पर ठगी के साथ-साथ हत्या की कोशिश, लूट व एनडीपीएस जैसे डेढ़ दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं।**

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना चिल्ला पुलिस द्वारा पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाकर बिना पैसे दिये सेल्समैन को चकमा देकर भागने वाले शातिर अभियुक्त अतुल सिंह पुत्र शिव बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि जनपद फतेहपुर थाना राधानगर क्षेत्र के रहने वाले सेल्समैन नीरज कुमार ने दिनांक 29.08.2025 को थाना चिल्ला पर सूचना दी कि अमन फिलिंग पेट्रोल पर 570 लीटर डीजल प्लास्टिक की केन व 38 लीटर पेट्रोल गाडी में डलवाकर अज्ञात लोग बिना पैसे दिए चकमा देकर भाग गए। जिसके सम्बन्ध में थाना चिल्ला पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 02.09.2025 को थाना चिल्ला पुलिस को मुखबिर ने सूचना प्राप्त हुई की पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाकर बिना पैसे दिए भागने वाला व्यक्ति फतेहपुर से बांदा की ओर आ रहा है और कहीं घटना करने की फिराक में है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मदनपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। मौके पर अभियुक्त के कब्जे से प्रयुक्त वाहन (स्विफ्ट कार) बरामद की गई, जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी। अभियुक्त इन घटनाओं को अंजाम देने के लिए गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर पहचान छिपाता था। कड़ाई से पूंछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया की दिनांक 28.08.2025 को थाना चिल्ला क्षेत्र के अमन फिलिंग पेट्रोल पम्प पर 38 लीटर पेट्रोल, 570 लीटर डीजल, दिनांक 16.04.2005 को जनपद हमीरपुर के थाना सुमेरपुर क्षेत्र में राम फिलिंग पेट्रोल पम्प तथा दिनांक 31.08.2025 को जनपद हमीरपुर के थाना लालपुर क्षेत्र के अखिल पेट्रोल पम्प से 560 लीटर डीजल व 26.5 लीटर पेट्रोल केनों व अपनी स्विफ्ट कार में भराकर बिना पैसा दिये सेल्समैन को चकमा देकर भाग गया था। जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित थानो में अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध पूर्व से ही डेढ़ दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे विभिन्न धाराओं में पंजीकृत हैं। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास का संकलन किया जा रहा है तथा इसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी-

- 05 अदद खाली प्लास्टिक की केन
- 01 स्विफ्ट (घटना में प्रयुक्त)
- 10 हजार रुपये नगद चोरी के

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अतुल सिंह पुत्र शिव बहादुर निवासी मुनऊ खेडा थाना बिहार जनपद उन्नाव।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 110/25 धारा 318(2)/318(4) बीएनएस थाना चिल्ला जनपद बांदा।
- बढोत्तरी धारा 338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना चिल्ला जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अतुल सिंह -

1. मु0अ0सं0 622/12 धारा 323/324/504 भादवि थाना बिहार जनपद उन्नाव।
2. मु0अ0सं0 801/12 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना बिहार जनपद उन्नाव।
3. मु0अ0सं0 143/16 धारा 147/148/323/452/504/506 भादवि थाना बिहार जनपद उन्नाव।
4. मु0अ0सं0 518/16 धारा 147/148/352/506 बीएनएस थाना जामो जनपद अमेठी।
5. मु0अ0सं0 92/17 धारा 307 भादवि थाना बिहार जनपद उन्नाव।
6. मु0अ0सं0 93/17 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बिहार जनपद उन्नाव।
7. मु0अ0सं0 169/17 धारा 147/307/323/504 भादवि थाना बिहार जनपद उन्नाव।
8. मु0अ0सं0 296/19 धारा 323/324/325/506 भादवि थाना बिहार जनपद उन्नाव।
9. मु0अ0सं0 160/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बिहार जनपद उन्नाव।
10. मु0अ0सं0 288/21 धारा 323/504/506 भादवि थाना बिहार जनपद उन्नाव।
11. मु0अ0सं0 366/21 धारा 8/20 NDPS थाना बिहार जनपद उन्नाव।
12. मु0अ0सं0 98/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना बिहार जनपद उन्नाव।
13. मु0अ0सं0 101/23 धारा 307/504/506 भादवि व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना बिहार जनपद उन्नाव।
14. मु0अ0सं0 129/24 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना बिहार जनपद उन्नाव।
15. मु0अ0सं0 85/25 धारा 316(2)/318(2)/340/366(iii)/338 बीएनएस थाना पुरवा जनपद उन्नाव।
16. मु0अ0सं0 100/25 धारा 316(2) बीएनएस थाना खीरों जनपद रायबरेली।
17. मु0अ0सं0 101/25 धारा 318(3) बीएनएस थाना लालपुरा जनपद हमीरपुर।
18. मु0अ0सं0 108/25 धारा 318(3) बीएनएस थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर।
19. मु0अ0सं0 110/25 धारा 318(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना चिल्ला जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 थाना चिल्ला श्री संदीप तिवारी
2. उ0नि0 श्री उत्कर्ष सिंह
3. हे0कां0 भूपेन्द्र सिंह
4. हे0कां0 कलाम अब्बासी
5. कां0 शनिकुमार वर्मा